इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जून 2012—ज्येष्ठ 24, शक 1934

## किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2012

क्र. डी-15-3-99-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में उस संशोधन कर राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के खण्ड (इक्कीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, करना प्रस्तावित करती है एवं निम्नलिखित प्रारूप उक्त धारा की उपधारा (1) में अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन प्रारूप पर इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अवसान होने के पश्चात् विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान दिवस या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा :—

### प्रारूप संशोधन

(1) उक्त नियमों में, नियम 7 के उप नियम (2) के खण्ड (ख-ख) में शब्द ''रकम दस प्रतिशत में से दो प्रतिशत रकम'' के स्थान पर ''रकम दस पैसे में से एक पैसे रकम'' स्थापित किए जाए.

(2) नियम 7 के उप नियम (2) के खण्ड (ख-ख) में निम्नानुसार परन्तुक को स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु यह और कि, वित्तीय वर्ष अंत अर्थात् 31 मार्च को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना'' मद अन्तर्गत शेष कुल अनउपयोगित धनराशि में से अस्सी प्रतिशत धनराशि प्रबंध संचालक द्वारा ''कृषि अनुसंधान तथा अधोसंचना विकास निधि'' में जमा की जाएगी.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**हेमराज सिंह**, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2012

क्र. डी-15-3-99-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जून 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**हेमराज सिंह**, अवर सचिव.

Bhopal, the 13th June 2012

No. D-15-3-99-XIV-3.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (State Marketing Development Fund) Rule, 2000 which the State Government propose to make in exercise of the powers conferred by clause (XXI) of sub-section (2) of Section 79 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), is here by published as required by sub-section (1) of the said Section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft of amendment of or before expiry of the period specified above, will be considered by the State Government :—

DRAFT OF AMENDMENT

(1) In the said rule, clause (b-b) of sub-rule (2) of Rule 7, in place of words "two percent amount out of ten percent amount" the following words shall be substituted "one paisa amount out of ten paisa amount".

(2) After the clause (b-b) of sub-rule (2) of Rule 7, following proviso shall be inserted, namely :—

" Provided further that on the financial yearend, i.e. 31st March, eighty percent funds from the total unutilized funds, available for " Chief Minister's Farmers Life Welfare Scheme", shall be deposited by the Managing Director in "Agriculture Research and Infrastructural Development Fund".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.